गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009, No.25 of 2009)

KONI, BILASPUR-495 009 (C.G.) INDIA, कोनी बिलासपुर 495 009 (छ0ग0) भारत

Tel. - +91-7752- 260003,260209 Fax - +91-7752- 260154, 260148, website - www.ggu.ac.in

क्रमांक 327 /परीक्षा/17 — बिलासपुर, दिनांक - 08./09/2017

सूचना

एदत द्वारा सम्बंधित छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय का षष्ठम दीक्षांत समारोह दिनांक 15.10.2017 को आयोजित होना है । उक्त दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं में से प्रावधानित मापदंड पूर्ण करने वाले एक छात्र अथवा छात्रा को सत्रवार **कुलाधिपति पदक (Chancellor Medal)** प्रदान किया जाना है ।

अतः शैक्षणिक सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं से इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है । **कुलाधिपति पदक** के लिए विद्यार्थी चयन हेतु निर्धारित किये गए प्रावधान इस पत्र के साथ संलग्न हैं ।

इच्छुक छात्र एवं छात्रायें सादे कागज में अपना विवरण देते हुए आवेदन अपने विभागाध्यक्ष को दिनांक 20.09.2017 तक प्रस्तुत करेंगे । प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित विभागाध्यक्ष, विभाग के अधिष्ठाता को दिनांक 22.09.2017 तक प्रस्तुत करेंगे ।

छात्र एवं छात्राओं के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20.09.2017 सायं 05.00 बजे तक है । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक एवं अन्य उपलब्धियों की जानकारी एवं पुष्टिकारक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है । बिना पुष्टिकारक दस्तावेजों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

कृपया सूचनार्थ ।

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

पृ. क्रं. 328../परीक्षा/17 — बिलासपुर, दिनांक - 08../09/2017

प्रतिलिपि-

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
2. समस्त अधिष्ठाता, अध्ययनशालायें, गुरु घासीदास विश्वविदयालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, गुरु घासीदास विश्वविदयालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समन्वयक, आईटी प्रकोष्ठ, गुरु घासीदास विश्वविदयालय को सूचनार्थ एवं छात्र छात्राओं को सूचित करने विश्वविदयालय वेबपटल पर जारी करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. जन संपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविदयालय को सूचनार्थ एवं छात्र छात्राओं को सूचित करने प्रेस विज्ञप्ति जारी करने कि कार्यवाही हेतु ।
6. कार्यालय प्रति ।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

Provisions of Chancellor Medal

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

REGULATION FOR THE AWARD OF CHANCELLOR GOLD MEDAL

As per the Provisions of regulation No..... Of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, the Chancellor Gold Medal will be awarded in the following manner:

1. That this Medal will be known as the Chancellor Gold Medal, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, which will be mentioned on one side of the Medal.
2. That, this Gold Medal will be awarded to the student on the basis of his/her performance in General Proficiency including Character, Conduct , Excellence in Academic Performance , Extra-Curricular Activities and Social Services on the basis of defined components and calculation table (Table Enclosed).
3. That, on the basis of above defined criteria the Dean of each school of studies will recommend the name of the best student from the teaching departments in the Universities campus in his / her school of studies, to the Controller of Examinations by the stipulated date. That the recommendation of the best student should be made along with brief biography of the student and certified documents of his/her achievements.
4. That the marks of the achievements of the candidate shall be counted for the full tenure of his/her programme of study in the university campus.
5. That the marks shall not be given to any such achievement which is a part of the prescribed curriculum of any course of study in the university.
6. That, out of the names suggested by Deans of various schools of studies, an advisory committee constituted for such purpose will select the best student for the award of the Chancellor Gold Medal on the basis of marks under the defined components and will send its recommendation to the Vice- Chancellor.
7. That, the Vice-Chancellor would take a decision on the recommendation of the advisory committee and accordingly the Chancellors Gold Medal will be awarded in the Convocation or as on the date decided by the Executive Council.
8. That, if there is a tie between two or more students, the Medal will be given to the student senior in age.
9. Other eligibility conditions shall be applicable as per general regulation for the award of Gold Medal prevailing in the university.

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

कुलाधिपति स्वर्ण पदक के विनियम

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुलाधिपति स्वर्ण पदक निम्नानुसार प्रदान किया जायेगा।

01 यह पदक कुलाधिपति गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के नाम से जाना जायेगा, जो कि पदक के एक ओर अंकित रहेगा।

02 यह स्वर्ण पदक छात्र/छात्रा का उसके "चरित्र, आचरण उत्कृष्ट शैक्षणिक निष्पादन , अन्य शैक्षणिक निष्पादन,अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियां एवं समाज सेवा सहित सामान्य दक्षता" के आधार परिभाषित घटकों एवं गणना तालिका के अनुरूप निर्णय कर प्रदान किया जायेगा । (तालिका संलग्न है)

03 उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक अध्ययनशाला के अधिष्ठाता अपनी अध्ययनशाला के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में से सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्रा का नाम तथा जीवन–वृत्त,उसकी विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए अभिप्रमाणित अभिलेखों के साथ परीक्षा नियंत्रक गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करेंगे।

04 छात्र/छात्रा के उपलब्धियों के प्राप्तांकों की गणना उसके विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के दौरान अर्जित उपलब्धियों के आधार पर की जायेगी।

05 किसी भी ऐसी उपलब्धि पर अंक नहीं दिये जायेंगे जो विश्वविद्यालय में संचालित किसी भी पाठ्यक्रम का अंश हो।

06 अध्ययनशालाओं द्वारा अनुशंसित नामों में से कुलाधिपति स्वर्ण पदक हेतु सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्रा का चयन इस हेतु गठित परामर्श समिति द्वारा किया जायेगा। यह समिति परिभाषित घटकों के आधार पर चयन कर अपनी संस्तुति कुलपति को देगी।

07. कुलपति उपरोक्त संस्तुति पर अपना निर्णय देंगे तदनुसार छात्र/छात्रा को दीक्षांत समारोह अथवा कार्य परिषद द्वारा इस हेतु निर्धारित तिथि को स्वर्ण पदक एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जायेगा।

08 दो या दो से अधिक छात्रों के समान निर्णय होने की स्थिति में उम्र में वरिष्ठ छात्र/छात्रा को यह पदक प्रदान किया जायेगा।

09 पदक से संबंधित अन्य योग्यताएं विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक हेतु निर्धारित सामान्य अध्यादेश के अनुरूप ही होंगी।

Calculation Table for Chancellor Gold Medal

Component 1:

Extracurricular activities organized at least at university level through open competition

Level	1 position	2 position	3 position	participation	Max marks in each category
University level	05	04	03	-	20
Inter University level	10	08	06	05	25
National level	15	12	10	08	25
International level	25	20	15	12	30
Total					100

Component 2:

Sports and games achievements organized at least at university level through open competition

Level	1 position	2 position	3 position	participation	Max marks in each category
University level	05	04	03	-	20
Inter University level	10	08	06	05	25
National level	15	12	10	08	25
International level	25	20	15	12	30
Total					100

Component 3: Social Services organized at least at university level

Level				Max marks in each category
NCC	30 C certificate	20 B Certificate	10 A Certificate	30
NSS	30 C certificate	20 B Certificate	10 A Certificate	30
Blood donation	20 For 3 times or more	10 For 2 times	05 For 1 time	20
Student leadership	20 Office bearer	10 Member		20
Total				100

Component 4: Academic Performance i.e. Aggregate of all Semester's (in %) = 100

Component 5: Exemplary ~~Work~~ contribution. = 100

Merit for the Purpose shall be calculated as follows:

$$\frac{\text{Total Marks Obtained in all five components}}{500} \times 100$$

1. Following marks will be given to students on the basis of their performance/contribution for Country/ Society/Humanity under component 05-

Level		Marks
Level 1	Exemplary Contribution recognized at Guru Ghasidas University/District level & below	25
Level 2	Exemplary Contribution recognized at State Level	50(Above level-1)
Level 3	Exemplary Contribution Recognized at Ministry/Department of Central Government Level	75 (Above level-2)
Level 4	Exemplary Contribution certified at Prime Minister or President Level	100 (Above Level-3)

2. However, the candidate has to apply for the medal in a plain paper accompanied with authenticated documents issued by the Government Officials of respective levels - State Government/Central Government/University.

3. Candidates have to apply for this medal. University will consider only those candidates who will apply for Chancellor Medal.